



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा चनौरा पुल पर हुई लूट में पीसीआर पर लिये गये अभियुक्त की निशादेही पर लूटा गया मोबाइल किया गया बरामद ।

घटना का विवरण:- दिनांक 06.07.2021 को एक नव दम्पति जो अपाचे मोटर साइकिल से अपने ससुराल से अपने घर जा रहा था को चनौरा पुल के पास रोककर मोटर साइकिल , मोबाइल फोन व सोने चाँदी के जेवरात लूट लिये थे जिसके सम्बन्ध में थाना रामगढ़ पर मु0अ0स0 399/21 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया था । जिसकी जाँच के दौरान प्रकाश में आया अभियुक्त रवि यादव ने दिनांक 23.09.2021 को माननीय न्यायालय ASJ-11/SPL J(DDA) फिरोजाबाद कोर्ट में मुकदमा उपरोक्त में हाजिर होकर आत्मसमर्पण कर दिया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया था ।

उपरोक्त अभियुक्त थाना रामगढ़ के मु0अ0सं0 502/21 धारा 307 (पुलिस मुठभेड) 399/402 भादवि का अभियुक्त भी है । अभियुक्त के बयान जिला जेल फिरोजाबाद में जाकर लिये गये जिसने अपने बयान में मुकदमा उपरोक्त में लूटे गये मोबाइल में से एक मोबाइल को दाऊदयाल स्टेडियम के पास कॉच उद्योग के सामने सुरक्षित स्थान झाड़ियों में एक पन्नी में रखकर छिपाना बताया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त रवि यादव से मोबाइल की बरामदगी हेतु माननीय न्यायालय में पीसीआर रिमाण्ड के लिये आवेदन किया गया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया । अभियुक्त रवि को पीसीआर पर लेकर उसके द्वारा लूट के मोबाइल को छिपाये जाने के स्थान दाऊदयाल स्टेडियम के पास कॉच उद्योग के सामने पहुंचे जहाँ से अभियुक्त रवि ने झाड़ियों के पास एक रखी लकड़ी के जीर्ण क्षीण रखे खोखे के पीछे ईंटों के नीचे से एक काली प्लास्टिक की पालिथीन निकालकर दिया जिसे खोलकर देखा तो एक अदद मोबाइल फोन रियल मी जिसके पीछे चिट पर IMEIN0-862176054386607 व IMEI N0- 862176054386615 माडल नं0 RMX2193 अंकित है जिसके IMEI NO. का थाना हाजा के मु0अ0स0 399/21 धारा 392/411 भादवि के वादी मुकेश द्वारा अपने लूटे गये मोबाइल फोन रियल मी के बताये गये IMEI NO. से मिलान किया गया तो मेल खाता है । लूटे गये मोबाइल की अभियुक्त रवि उपरोक्त द्वारा बरामदगी कराने का विडियो बनाया गया है । अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम पता पीसीआर पर लिया गया अभियुक्त -

1. रवि यादव पुत्र रामवीर सिंह निवासी ग्राम दौलतपुर थाना नारखी जिला फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 399/21 धारा 392/411 भादवि थाना रामगढ़ फिरोजाबाद ।
2. मु0अ0सं0 502/2021 धारा 307/399/402 भादवि थाना रामगढ़ फिरोजाबाद ।

बरामदगी:-

1. एक मोबाइल फोन रियल मी जिसका IMEIN0- 862176054386607 व IMEI N0- 862176054386615 माडल नं0 RMX2193

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 उमेश कुमार थाना रामगढ़ फिरोजाबाद
2. है0का 77 दिनेश गौतम थाना रामगढ़
3. का0 171 नेत्रपाल थाना रामगढ़ फिरोजाबाद